कारपोरेट कार्य मंत्रालय

मांग संख्या 17

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	573.06	37.73	610.79	2636.96	55.10	2692.06	1053.33	55.10	1108.43	11469.86	116.33	11586.19
वसूलियां	*-27.19*	*...*	-27.19	*-25.00*	*...*	*-25.00*	*-30.00*	*...*	*-30.00*	*-25.00*	*...*	*-25.00*
प्राप्तियां	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
निवल	**545.87**	**37.73**	**583.60**	**2611.96**	**55.10**	**2667.06**	**1023.33**	**55.10**	**1078.43**	**11444.86**	**116.33**	**11561.19**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	126.87	...	126.87	163.98	...	163.98	181.22	...	181.22	199.12	...	199.12
2. कारपोरेट विधि नियमन												
2.01 संयुक्त स्टॉक कंपनियों का रजिस्ट्रार	68.84	...	68.84	77.00	...	77.00	80.01	...	80.01	77.87	...	77.87
2.02 क्षेत्रीय निदेशक, आधिकारिक परिसमापक और कंपनी अधिनियम के अधीन विभिन्न निकायों के संदर्भ में अन्य व्यय	278.04	...	278.04	296.98	...	296.98	326.20	...	326.20	333.87	...	333.87
जोड़- कारपोरेट विधि नियमन	*346.88*	*...*	*346.88*	*373.98*	*...*	*373.98*	*406.21*	*...*	*406.21*	*411.74*	*...*	*411.74*
3. वास्तविक वसूलियां	-1.03	...	-1.03	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**472.72**	**...**	**472.72**	**537.96**	**...**	**537.96**	**587.43**	**...**	**587.43**	**610.86**	**...**	**610.86**
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
कॉरपोरेट आंकड़ा प्रबंधन प्रणाली												
4. कारपोरेट डाटा प्रबंधन (सीडीएम)	4.17	...	4.17	4.00	1.00	5.00	4.90	10.10	15.00	8.46	2.54	11.00
5. न्यू इंटर्नशिप प्रोग्राम	...	...	...	2000.00	...	2000.00	380.00	...	380.00	10771.30	59.77	10831.07
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं	**4.17**	**...**	**4.17**	**2004.00**	**1.00**	**2005.00**	**384.90**	**10.10**	**395.00**	**10779.76**	**62.31**	**10842.07**
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
सांविधिक और विनियामक निकाय												
6. भारतीय इनसोलवेंसी और बैंकरप्सी बोर्ड	19.00	...	19.00	19.00	...	19.00	...	...	...	0.03	...	0.03
7. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग	49.98	...	49.98	51.00	...	51.00	51.00	...	51.00	54.21	...	54.21
जोड़-सांविधिक और विनियामक निकाय	**68.98**	**...**	**68.98**	**70.00**	**...**	**70.00**	**51.00**	**...**	**51.00**	**54.24**	**...**	**54.24**
अन्य												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
8. निवेशक शिक्षा और संरक्षा निधि												
8.01 निवेशकों को दावा न किए गए लाभांश की वापसी	20.00	...	20.00	25.00	...	25.00	30.00	...	30.00	25.00	...	25.00
8.02 आईईपीएफ से की गई वसूलियां घटाएं	-20.00	...	-20.00	-25.00	...	-25.00	-30.00	...	-30.00	-25.00	...	-25.00
निवल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9. मुख्य निर्माण कार्य - भूमि और भवन	...	37.73	37.73	...	54.10	54.10	...	45.00	45.00	...	54.02	54.02
जोड़-अन्य	**...**	**37.73**	**37.73**	**...**	**54.10**	**54.10**	**...**	**45.00**	**45.00**	**...**	**54.02**	**54.02**
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	**68.98**	**37.73**	**106.71**	**70.00**	**54.10**	**124.10**	**51.00**	**45.00**	**96.00**	**54.24**	**54.02**	**108.26**
कुल जोड़	***545.87***	***37.73***	***583.60***	***2611.96***	***55.10***	***2667.06***	***1023.33***	***55.10***	***1078.43***	***11444.86***	***116.33***	***11561.19***
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	181.02	...	181.02	2214.98	...	2214.98	612.22	...	612.22	11024.63	...	11024.63
2. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	364.85	...	364.85	396.98	...	396.98	411.11	...	411.11	420.23	...	420.23
3. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	37.73	37.73	...	55.10	55.10	...	55.10	55.10	...	116.33	116.33
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**545.87**	**37.73**	**583.60**	**2611.96**	**55.10**	**2667.06**	**1023.33**	**55.10**	**1078.43**	**11444.86**	**116.33**	**11561.19**
कुल जोड़	**545.87**	**37.73**	**583.60**	**2611.96**	**55.10**	**2667.06**	**1023.33**	**55.10**	**1078.43**	**11444.86**	**116.33**	**11561.19**

1. **सचिवालय:** इसमें मंत्रालय के सचिवालय व्यय, ई-गवर्नेंस (एमसीए-21) परियोजना ;और आईपीआई परियोजना के लिए प्रावधान है।

2.01. **संयुक्त स्टॉक कंपनियों का रजिस्ट्रार:** इसमें विभिन्न राज्यों में स्थित कंपनी रजिस्ट्रार-सह-आधिकारिक परिसमापक कार्यालयों और कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालयों पर होने वाले व्यय का प्रावधान है। इन कार्यालयों के मुख्य कार्य कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों और कंपनी अधिनियम, 1956 की शेष धाराओं के अधीन पब्लिक और प्राइवेट कंपनियों की रजिस्ट्री, वार्षिक रिटर्न, तुलन पत्र और अन्य दस्तावेजों की संवीक्षा करना तथा ऐसी संवीक्षा के परिणामस्वरूप ध्यान में आने वाली अनियमितताओं पर अपेक्षित कार्रवाई करना है। कंपनी रजिस्ट्रार-सह-आधिकारिक परिसमापक दोनों प्रकार्यों अर्थात् पंजीकरण का कार्य और परिसमापन के प्रयोजनों के लिए आधिकारिक परिसमापक का कार्य करते हैं। ये कार्यालय उच्च न्यायालयों के साथ संबद्ध होते हैं और ये अनिवार्य परिसमापन के अधीन कंपनियों के प्रभारी होते हैं।

2.02. **क्षेत्रीय निदेशक, आधिकारिक परिसमापक और कंपनी अधिनियम के अधीन विभिन्न निकायों के संदर्भ में अन्य व्यय:** क्षेत्रीय निदेशक अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले कंपनी रजिस्ट्रार-सह-आधिकारिक परिसमापक कार्यालयों, कंपनी रजिस्ट्रार और आधिकारिक परिसमापक कार्यालयों का पर्यवेक्षण, परामर्श एवं मार्गदर्शन करते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार आधिकारिक परिसमापक की नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है और ये उच्च न्यायालयों से संबद्ध होते हैं। ये कार्यालय परिसमापन के अधीन वाली कंपनियों के प्रभारी होते हैं। महानिदेशक, कारपोरेट कार्य की भूमिका मंत्रालय और देश भर के क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच संपर्क स्थापित करने की है।

अन्य व्यय में, गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ), राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी), राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी), राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए), विशेष न्यायालय और निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण के लिए प्रावधान है।

4. **कारपोरेट डाटा प्रबंधन (सीडीएम):** कारपोरेट डाटा प्रबंधन योजना में मंत्रालय में इन-हाउस डाटा माइनिंग और विश्लेषणात्मक सुविधा तैयार करने का प्रस्ताव है जिससे इसकी कारपोरेट रजिस्ट्री में मौजूद सूचना के विशाल संग्रह का प्रभावी उपयोग किया जा सके। इस सुविधा का लक्ष्य सभी हितधारकों को अधिक सुगम तरीके से प्रामाणिक और सही डाटा उपलब्ध कराने के साथ-साथ, इस मंत्रालय और अन्य नीतिगत या निर्णय लेने वाली सरकारी या गैर सरकारी एजेंसियों को व्यवस्थित और संरचित तरीके से सूचना उपलब्ध कराना है।

5. **न्यू इंटर्नशिप प्रोग्राम:** बजट 2024-25 में शुरू की गई एक नई योजना, न्यू इंटर्नशिप प्रोग्राम (पीएम इंटर्नशिप स्कीम) है। इसका उद्देश्य पांच वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है।

6. **भारतीय इनसोलवेंसी और बैंकरप्सी बोर्ड:** बैंकरप्सी और इंसोलवेंसी संहिता, 2016 के अनुसार इस मंत्रालय ने कारपोरेट निकायों, भागीदारी फर्मों और व्यक्तियों का समयबद्ध रीति में पुनर्गठन और दिवालियापन समाधान करने से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिए भारतीय बैंकरप्सी और इनसोलवेंसी बोर्ड का गठन किया है ताकि ऐसे व्यक्तियों की आस्तियों के मूल्य की अधिकतम वृद्धि करने, उद्यमिता और ऋण की उपलब्धता को बढ़ावा देने और सरकारी देयराशियों के भुगतान की प्राथमिकता के क्रम में परिवर्तन सहित सभी पक्षकारों के हितों में संतुलन बनाया जा सके तथा इससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए भारतीय बैंकरप्सी और इनसोलवेंसी संहिता तैयार की जा सके।

7. **भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग:** इसमें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए सामान्य सहायता अनुदान और वेतन -सहायता अनुदान आदि का प्रावधान है।भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और उसे बनाए रखने के लिए की गई है। पूर्ववर्ती एमआरटीपी आयोग के समक्ष लंबित सभी मामले प्रतिस्पर्धा आयोग को अंतरित हो गए हैं।

8.01. **निवेशकों को दावा न किए गए लाभांश की वापसी:** निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) से दावेदारों को भुगतान/दावा न की गई राशि का संवितरण करने के लिए प्रावधान है।

8.02. **आईईपीएफ से की गई वसूलियां घटाएं:** निवेशकों को लौटाने हेतु निधि में से आहरण का प्रावधान है।

9. **मुख्य निर्माण कार्य - भूमि और भवन:** भूमि/भवन की खरीद/कार्यालय परिसर के निर्माण/कर्मचारियों के लिए रिहायशी आवास और वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न पूंजीगत मदों पर व्यय का प्रावधान है।